न्यायालय –सत्र न्यायाधीश, रायपुर, जिला–रायपुर, छ.ग.।

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 19.06.2026

जमानत याचिका क्रमांक 1759/2026

अजय रजक, उम्र 38 वर्ष,
पिता धन्नु रजक
निवासी–लक्ष्मण नगर, गली नं.3,
शिव मंदिर के पास,
थाना–गुढियारी,रायपुर, जिला रायपुर, छ.ग.।
स्थायी पता– ग्राम–खरसरा,
थाना व जिला– बेमेतरा, छ.ग. । ..... आवेदक/ अभियुक्त

–विरूद्ध–

छत्तीसगढ़ राज्य ..... अनावेदक

19.06.2026

आवेदक/अभियुक्त **अजय रजक** की ओर से श्री मनोहर वर्मा, अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री जगदीश कुमार अग्रवाल, लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना गुढियारी, रायपुर के अपराध क्रमांक 247/2026 अंतर्गत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट की केस डायरी प्राप्त।

प्रकरण आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. पर सुनवाई हेतु नियत है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र पर उभय पक्षों के तर्क सुने गये।

केस डायरी का परिशीलन किया गया।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र में यह उल्लेखित किया गया है कि धारा 483 बी.एन.एस.एस.के तहत् यह उसका प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न लंबित है और न ही निराकृत हुआ है। पक्ष के समर्थन में आवेदक के मित्र मुशीर बेक का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन के प्रकरण के अनुसार घटना दिनांक 14.06.2026 को 11.50 बजे पुलिस चौकी रामनगर के सहायक उपनिरीक्षक जयनारायण यादव द्वारा एक बालिका नीलम रजक से प्राप्त सूचना के आधार पर मय स्टाफ व गवाह घटनास्थल लक्ष्मण नगर गली नं.3, शिव मंदिर के पास रामनगर गुढियारी अंतर्गत पुलिस थाना गुढियारी रायपुर पहुंचा, जहाँ अभियुक्त अपने हाथ में लोहे का चाकू लेकर एक महिला से वाद–विवाद कर चाकू को लहरा रहा था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। अभियुक्त के कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू, जिसकी कुल लंबाई

14.8 इंच, फल की लंबाई 10 इंच, मुठ की लंबाई 4.5 इंच तथा फल की चौड़ाई 2.0 इंच बरामद किया गया। अभियुक्त को नोटिस दिये जाने पर उसके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिस पर उक्त चाकू को जप्त किया जाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना गुढियारी,रायपुर में अपराध क्रमांक 247/2026 अंतर्गत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया। अन्वेषण जारी है ।

आवेदक की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक को पूछताछ हेतु थाना बुलाकर उसके विरूद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध किया गया है । आवेदक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। उसके ज्यादा दिनों तक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार के समक्ष भरण–पोषण की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है । प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है । आवेदक के फरार होने की संभावना नहीं है । वह न्यायालय द्वारा आदेशित समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है । अतः आवेदक को जमानत पर रिहा किया जावे।

अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्त से धारदार चाकू की जप्ती की गई है। अपराध गंभीर है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जावे।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त से एक लोहे का चाकू, जिसकी कुल लंबाई 14.8 इंच, फल की लंबाई 10 इंच, मुठ की लंबाई 4.5 इंच तथा फल की चौड़ाई 2.0 इंच जप्त करना बताया गया है। आवेदक के विरूद्ध पूर्व में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं होना बताया गया है । आवेदक दिनांक 14.06.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रकरण मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः विचारोपरांत **आवेदक/अभियुक्त भानु अजय रजक** द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आवेदक/ अभियुक्त द्वारा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि योग्य 10,000/– रूपये (दस हजार रूपये)का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं उतनी ही राशि की एक सक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत किये जाने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर उन्मुक्त किया जावे।

शर्तेंः–

1. आवेदक/अभियुक्त अन्वेषण में सहयोग प्रदान करेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त अन्य कोई अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा ।

3. आवेदक/अभियुक्त गवाहों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित, प्रलोभित, प्रताड़ित नहीं करेगा।

उक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।

आदेश की एक प्रतिलिपि पालन हेतु संबंधित न्यायालय को भेजी जावे, एक प्रतिलिपि मेल के माध्यम से केन्द्रीय जेल, रायपुर को भेजी जावे तथा एक प्रतिलिपि सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापस भेजी जावे ।

प्रकरण समाप्त।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर, व्यवस्थित कर अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/–
(बलराम प्रसाद वर्मा)
सत्र न्यायाधीश, रायपुर,
छ.ग.।

BALRAM PRASAD VERMA
Digitally signed by BALRAM PRASAD VERMA
Date: 2026.06.24 11:44:43 +0530